भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1343

09 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों की बर्बादी

1343. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त भंडारण सुविधा न होने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के संदर्भ में बिहार राज्य और बिहार के भागलपुर जिले का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): गोदामों में भंडारण में रखे केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) को हुई किसी भी क्षति का सीधा कारण भंडारण के अभाव को नहीं माना जा सकता है।

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कुल 529.59 लाख टन स्टॉक होल्डिंग की तुलना में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 819.19 लाख टन (कवर्ड - 669.10 लाख टन और कैप - 150.09 लाख टन) है।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के तहत भागलपुर में 0.14 लाख टन के मासिक आवंटनों हेतु 0.40 लाख टन क्षमता सहित बिहार राज्य में दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के स्टॉक के भंडारण के लिए उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 15.23 लाख टन (कवर्ड - 14.23 लाख टन और कैप - 1.00 लाख टन) है।

*****